बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

–: अधिसूचना :–

पत्रांक–6 / अ0–03–09 / 2010 पटना, दिनांकः–

श्री बिनोद कुमार झा, राज्य–कर विशेष आयुक्त–सह–सदस्य (विभागीय), वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–8043 / वि0 दिनांक 11.10.2017 की कंडिका–3(G)(i) में छुट्टी यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में ब्लॉक वर्ष 2026–2029 में दिनांक 23.12.2026 से 28.12.2026 तक की अवधि में पत्नी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप भ्रमण करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–6 / अ0–03–09 / 2010 3847 पटना, दिनांकः– 30/09/26

प्रतिलिपि :–महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / महालेखाकार, (लेखा परीक्षा–1), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / सचिव, वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण / निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य– कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं श्री बिनोद कुमार झा, राज्य–कर विशेष आयुक्त–सह–सदस्य (विभागीय), वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि याचित अवकाश की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

30.09.2026

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।